"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 जनवरी 2005—पौष 17, शक 1926

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2004

क्रमांक ई-1-2/2004/1/2.—श्री पी. जॉय ओमेन, भा.प्र.से. (1977) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ, अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग भी पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. के. विजयवर्गीय, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2004

क्रमांक 1057/818/2004/1-8/स्था.—श्री जयसिंह म्हस्के, (भा. व. से.) संयुक्त सचिव, छ. ग. शासन, वन विभाग को दिनांक 20-12-2004 से 1-1-2005 तक 13 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 18, 19 दिसम्बर 2004 एवं 2 जनवरी, 2005 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जयसिंह म्हस्के को संयुक्त सचिव, छ. ग. शासन, वन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री जयसिंह म्हस्के, अवकाश पर नहीं जाते तो संयुक्त सचिव, छ. ग. शासन, वन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2004

क्रमांक 1059/825/2004/1-8/स्था.—श्री वाय. एस. बेले, अवर सचिव, छ. ग. शासन, वन विभाग को पूर्व में स्वीकृत अवकाश आदेश दिनांक 8 नवम्बर, 2004 को निरस्त करते हुए दिनांक 4-11-2004 से 4-12-2004 तक 31 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 5 दिसम्बर, 2004 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री वाय. एस. बेले, अवर सचिव, छ. ग. शासन, वन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री वाय. एस. बेले, अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छ. ग. शासन, वन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2004

क्रमांक 1061/826/2004/1-8/स्था.—श्री विजय कुमार सिंह, स्टाफ आफिसर, छत्तीसगढ़ मंत्रालय को दिनांक 27-12-2004 से 7-1-2005 तक 12 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 8 एवं 9 जनवरी, 2005 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री विजय कुमार सिंह, स्टाफ आफिसर को स्टाफ आफिसर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री विजय कुमार सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो स्टाफ आफिसर के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2004

क्रमांक 1063/833/2004/1-8/स्था.—श्री शंकर राव ब्राम्हणे, (रा. प्र. से.) उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 27-12-2004 से 7-1-2005 तक 12 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 25, 26 दिसम्बर, 2004 एवं 8, 9 जनवरी, 2005 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री शंकर राव ब्राम्हणे, (रा. प्र. से.) को उप-सचिव, छ. ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री शंकर राव ब्राम्हणे अवकाश पर नहीं जाते तो उप-सचिव के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रहास बेहार, सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2004

क्रमांक ई-7/15/2004/1/2/लीव.—श्री सरजियस मिंज, भा.प्र.से. को दिनांक 23-12-2004 से 4-1-2005 तक (13 दिन) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मिंज आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री मिंज को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिंज अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2004

क्रमांक 3017/1935/2004/1/2/लीव.—श्री एम. आर. सारथी, भा.प्र.से. को दिनांक 6-11-2004 से 6-12-2004 तक (31 दिन) का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सारथी आगामी आदेश तक विशेष सचिव, आदिमजाति एवं अनु. जाति विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सारथी को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सारथी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2004

एफ नं. 4-465/दो/गृह-सी/2004.—दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (अधिनियम 25 वर्ष 1946) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में, अपराध क्रमांक 289/04, आयुध अधिनियम, 1959 एवं विस्फोटक अधिनियम, 1884 के तहत थाना धरसीवां, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकृत किया गया है, से संबंधित किसी व्यक्ति, लोक सेवक के आपराधिक दुष्कृत्य एवं आपराधिक षड़यंत्र आदि एवं उक्त मामलों से संबंधित अन्य किसी अपराध की विवेचना एवं जांच के लिये उनके अधिकारों एवं क्षेत्राधिकारों का विस्तार करने की सहमति देती है.

Raipur, the 8th December 2004

F No. 4-465/Two/Home-C/2004.—In exercise of the powers conferred under section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act 25 of 1946), the State Government, hereby, gives consent of extension of powers and jurisdiction to the whole State of Chhattisgarh to the members of the Delhi Special Police Establishment to investigate and inquire into the Crime No. 289/04 registered under Arms Act, 1959 and explosive Act, 1884 at Dharsiva police station at Raipur District of Chhattisgarh State, with respect to criminal misconduct, criminal conspiracy etc. and any other offence in connection with the said case by member of the public, public servants.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुब्रमणियम, विशेष सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2004

क्रमांक/2571/डी-3/19/2004/14-3.—राज्य शासन एतद्द्वारा मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में "राज्य लैण्ड यूज बोर्ड" का गठन करता है, जिसके सदस्य एवं सदस्य सचिव निम्नानुसार होंगे :—

1.	अध्यक्ष	मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन
2.	उपाध्यक्ष	मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग
3.	सदस्य	मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
4.	सदस्य	मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग
5.	सदस्य	मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
6.	सदस्य	मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग
7.	सदस्य	मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग
8.	सदस्य	मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज विभाग
9.	सदस्य	मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन विभाग
10.	सदस्य	मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग
11.	सदस्य	मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, उद्योग विभाग

12.	सदस्य	कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, छ. ग. शासन, कृषि विभाग
13.	सदस्य	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
14.	सदस्य	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन विभाग
15.	सदस्य	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग
16.	सदस्य	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उद्योग विभाग
17.	सदस्य	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग
18.	सदस्य	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग
19.	सदस्य	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, योजना आयोग
20.	सदस्य सचिव	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग

यह बोर्ड अपने अधीनस्थ ''न्यूक्लियस सेल'' के माध्यम से राज्य में उपलब्ध भूमि संसाधन के सम्यक् उपयोग के लिए कार्य करेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एल. जैन, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 10 दिसम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिंया	रानीसागर कुनकुनी प. ह. नं. 13	2.332 + 1.278 = 3.610	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 8 दिसम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-सरवानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.934 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	550	0.162
	596/2	0.247
	592/6	0.012
	592/5	0.008
	551/5	0.129
	590/1	0.077
	553/1	0.061
	631/2	0.020
	552/2	0.032
	591/2	0.032
	592/8	0.024
	592/9	0.049
	525/2	0.081
योग	13	0.934

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 दिसम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 5/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-छाल, प. ह. नं. 30
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.035 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	1353	0.590
	1355	0.250
	1360	2.890
	1361	0.450
	1358/2	0.044
	1362	1.620
	1363	0.210
	1364	1.609
	1366/1	0.348
	1366/2	0.149
	1366/3	0.146
	1366/4	0.196
	1366/5	0.133
	1366/6	0.376
	1366/7	0.024
योग	15	9.035

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोयला उत्खनन हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 दिसम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 6/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-लात, प. ह. नं. 30
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-159.888 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
4	0.280
124	1.710
145	0.660
125	0.200
174	3.770
175	0.740
359	0.230
361	0.250
190	0.141
206	0.130
210	0.130
211	0.490
212	0.720
5/1	0.200
76/2	0.500
172/2	0.085
215/1	0.017
357/1	0.065
235/2	0.130
398/2	0.845
6	0.111
133	0.050
258	0.080
264	0.340
259/1	0.292
542	1.240
7	0.011
110	0.330
149	0.220
157	0.030
158	0.490
159	0.100
160	0.140
8	0.270
15	0.481
9	0.220
119	0.030
166	0.280
668	0.400
10/1	0.051
85/2	0.037
102/1	0.080
632/1	0.002
659/1	0.006
333	0.268
10/2	0.051
85/3	0.037
102/2	0.080
632/2	0.002
659/2	0.006
10/3	0.051
85/4	0.037
58/5	0.214
102/3	0.080
632/3	0.002
659/3	0.006
10/4	0.050
85/5	0.037
102/4	0.080
632/4	0.002
659/4	0.006
10/5	0.050
85/6	0.037
102/5	0.080
632/5	0.002
659/5	0.006
10/6	0.077

(1)	(2)	(1)	(2)
102/12	0.130	42	0.140
632/12	0.010	127/2	0.030
416	0.390	139/2	0.065
12	0.610	234	0.060
217	0.083	239	0.270
554	0.060	241/1	0.190
18	0.520	489/1	0.175
20/1	0.350	28/1	0.535
59/2	0.110	28/3	0.370
83/1	0.200	28/4	0.040
83/3	0.040	28/6	0.055
240/2	0.080	165	0.550
250/2	0.060	559	0.290
423/1	0.640	581/2 क	0.110
379/2	0.165	582	0.140
20/2	0.350	587	0.090
59/1	0.140	611	0.030
83/2	0.260	655/1	0.060
240/1	0.080	675	0.100
250/1	0.060	331	0.550
423/2	0.640	28/2 क	0.370
379/1	0.165	28/5	0.050
21	0.200	28/7	0.100
26	0.530	581/1	0.120
29	0.280	655/2	0.020
129/1	0.090	28/2 ख	0.020
271/1	0.300	28/2 ग	0.020
282/1	0.510	30	0.220
654/1	0.045	48	0.330
868	0.098	72	0.370
22	0.190	486	0.099
25	0.510	490/1	0.330
31	0.290	633	0.040
41	0.170	732/1	0.500
229	0.040	35	0.740
270	0.181	44	1.210
451	0.188	69	0.390
364	0.350	74	0.050
366	0.310	122	0.060
23	0.260	869	0.348
24	0.534	36	0.170
32	0.400	37	0.190

(1)	(2)	(1)	(2)
113	0.050	619	0.360
121	0.050	712	0.010
40/1	0.110	58/1	0.108
147/1	0.045	138/1	0.184
163/1	0.350	198/1	0.866
40/2	0.080	251	0.120
68/2	0.280	552	0.130
163/2	0.090	597	0.370
40/3	0.150	744	0.560
68/1	0.280	58/3	0.247
147/2	0.055	85/1	0.046
548	0.310	58/4	0.061
40/4	0.040	102/6	0.030
43	0.620	632/6	0.003
45	0.300	58/2	0.320
46	0.220	138/3	0.198
47	0.530	198/2	0.344
55	0.370	60	0.440
67	0.150	238/2	0.086
71	0.370	61	0.590
161	0.400	252	0.140
660	0.040	558	0.080
862	0.095	592	0.230
49	0.860	621	0.080
253	0.150	65	0.350
658	0.950	272	0.287
50	0.150	275	0.065
51	0.050	652	0.160
53	0.510	355	0.017
54	0.550	363/1	0.262
108/1	0.100	63	0.080
635/1	0.060	332	0.280
665/1	0.160	62	0.160
56	0.170	64	0.080
543	0.180	66	0.580
431	0.160	108/2	0.320
544	0.240	109	0.060
545	0.210	566	0.220
57	0.370	635/2	0.060
117	0.380	665/2	0.300
199	2.200	70	0.580
618	0.420	576	0.124

(1)	(2)	(1)	(2)
612	0.040	92	1.080
647	0.050	663	0.770
677	0.200	851	0.042
73	0.110	94	1.060
491/2	0.330	444	0.150
764	0.400	519	1.030
324	0.430	521	0.390
365	0.230	523	0.500
77	0.140	631	0.140
78	0.210	741	0.110
79	0.330	95	0.280
80	0.920	127/1	0.030
81	0.360	139/2	0.065
85/7	0.046	241/2	0.030
102/7	0.030	489/2	0.175
632/7	0.003	96	0.180
85/8	0.047	150	0.180
102/8	0.030	151	0.100
632/8	0.002	152	0.420
85/9	0.046	153	0.130
102/9	0.030	154	0.110
632/9	0.002	155	0.110
659/6	0.030	156	0.260
86	0.050	164	0.100
88	0.320	636	0.080
90	0.160	735	0.820
528	0.450	738	0.430
630	0.140	739	0.300
736	0.530	97	0.110
756	0.341	100	0.160
87/1	0.108	136	0.040
511/1	0.106	227	0.050
515/1	0.750	274	0.460
628	0.040	101	0.590
87/2	0.106	547	0.270
511/2	0.460	102/10	0.065
515/2	0.750	632/10	0.005
87/3	0.106	102/11	0.065
511/3	0.460	632/11	0.005
515/3	0.750	103	0.230
91	0.350	598/2	0.175
518	0.200	598/3	0.121

(1)	(2)
104	0.140
105	0.200
112	0.030
107	0.460
114	0.330
116	0.060
142	0.750
637	0.090
115	0.090
148	0.390
167	0.210
111	0.110
144	0.230
273	0.023
551	0.070
118	0.060
569	0.029
572	0.052
123	0.190
128	0.050
171	0.250
380	2.890
126	0.070
129/2	0.090
654/2	0.045
367	1.070
130/1	0.004
170	0.060
280	0.130
130/2	0.036
132	0.040
135	0.100
203	0.160
222	0.150
140/1	0.140
141	0.370
439	0.150
440	0.680
527	0.380
529	0.120
608	0.070
759	0.510

(1)	(2)
378	0.200
382	0.420
138/2	0.138
216	0.017
226	0.040
277	0.200
278	0.240
537	0.080
140/2	0.070
218/2	0.230
233/3	0.040
351/2	0.100
351/5	0.080
617/1	0.040
140/3	0.070
233/1	0.040
218/5	0.250
351/3	0.143
617/2	0.040
140/4	0.070
218/3	0.150
351/1	0.160
351/4	0.100
617/3	0.040
143	0.860
146/1	0.273
588/3	0.183
600/1	0.098
674/2	0.530
334/1	0.155
146/2	0.273
238/1	0.086
600/2	0.096
588/2	0.184
682	0.268
334/2	0.155
162	0.360
208	0.560
651	0.070
146/3	0.394
238/3	0.088

(1)	(2)	(1)	(2)
588/1	0.183	209/1	0.197
600/3	0.096	221/2	0.643
623	0.050	261/1	0.108
674/1	0.020	261/3	0.065
674/3	0.540	596/1	0.115
168	0.110	209/2	0.243
169/1	0.162	221/1	0.567
645/2	0.060	261/2	0.024
169/2	0.121	261/4	0.073
169/5	0.081	596/2	0.115
169/3	0.152	218/1	0.190
645/1	0.060	218/4	0.230
169/4	0.334	233/1	0.130
363/3	0.141	351/6	0.570
365	0.470	219	0.490
181	1.440	556	0.070
182	0.262	228	0.050
224	0.040	243	0.030
194/1	0.594	230	0.080
225/2	0.020	249	0.200
207	0.320	353	0.108
232	0.110	231	0.070
176	0.168	233/4	0.040
178	0.090	233/5	0.040
180	0.090	256	0.320
183	0.350	244	0.030
192	0.244	246	0.130
193	0.007	265	0.160
195	0.270	349/1	0.465
196	0.150	425	0.660
197	0.630	426	0.390
223	0.050	435	0.360
194/2	0.465	553	0.660
200	0.200	557	0.230
201	0.310	593	0.320
225/1	0.020	598/1	0.044
205	0.300	725/1	0.046
320	0.480	727/1	0.170
638	0.050	745/1	0.870
763	0.150	355	0.594
373	0.110	247	1.340
328	0.180	279	0.630

(1)	(2)	(1)	(2)
254	0.100	429	0.230
276	0.239	428	0.540
255	0.100	685	0.340
731	0.300	432	0.200
256	0.530	433	0.140
259/2	0.218	434/3	0.101
260	0.370	541/1	0.052
356/1	0.043	541/3	0.052
363/2	0.141	434/2	0.093
262	0.250	438/3	0.031
269	0.190	541/4	0.083
348	0.117	434/4	0.040
669	0.140	436	0.100
686	0.260	438/2	0.061
266	0.150	650	0.170
434/1	0.016	541/2	0.053
438/1	0.118	441	0.980
578	0.530	530	0.100
263	0.233	531	0.660
267	0.250	595	0.190
616	0.080	487	0.230
268	0.300	513	0.021
281	0.116	516	0.020
877	0.137	629	0.040
287	0.071	524	0.410
347	0.043	754	0.097
349/2	0.405	526	0.740
352	0.031	532	0.050
538	0.800	546	0.100
643	0.110	549	1.190
644	0.810	561	0.440
657	0.510	563	0.250
666	0.523	565	0.580
667	0.600	570	0.320
670	0.200	710/1	0.010
356/2	0.040	567/1	0.100
358	0.360	567/2	0.110
550	0.170	568/1	0.041
662	0.320	568/2	0.030
757	0.510	568/3	0.040
780	0.480	568/4	0.040
422	0.340	568/5	0.040

(1)	(2)	(1)	(2)
568/6	0.040	725/3	0.060
568/7	0.040	725/4	0.040
571	0.129	725/5	0.040
649/1	0.050	725/6	0.060
580	0.210	725/7	0.040
581/2 ख	0.040	725/8	0.060
581/2 ग	0.040	725/9	0.060
581/2 घ	0.040	725/10	0.042
583	0.200	725/11	0.040
586	0.200	727/2	0.100
599	0.070	727/3	0.100
724	0.410	727/4	0.100
726	0.180	727/5	0.100
743/1	0.630	727/6	0.100
606	0.236	732/2	0.040
607	0.050	733/1	0.048
610	0.020	733/2	0.121
646	0.020	733/3	0.020
613	0.060	733/4	0.121
680	0.130	742	0.460
614	0.080	743/2	0.020
648	0.040	743/3	0.020
615	0.090	743/4	0.020
681	0.260	743/5	0.020
622	0.090	745/2	0.040
625	0.100	745/3	0.040
664	0.378	745/4	0.040
687	0.096	745/5	0.040
849	0.143	745/6	0.040
642	0.030	745/7	0.040
649/2	0.050	860	0.030
671	0.160	861	0.060
672/1	0.060	318	0.598
672/2	0.040	385	0.240
672/3	0.040	322	0.280
672/4	0.040	325	0.160
673	0.110	641	0.060
678	0.120	762	0.200
679/1	0.028	387	1.312
679/7	0.040	624	0.090
705	0.012	391	0.370
725/2	0.060	394	0.113

(1)	(2)
395	0.050
397	0.430
626	0.070
400	0.025
540	0.300
609	0.150
620	0.130
405	1.300
710/2	0.040
710/3	0.040
710/4	0.040
368/1	0.060
368/2	0.060
368/3	0.030
368/4	0.060
368/5	0.060
370	0.330
640	0.050
760	0.180
371	0.230
375	0.200
634	0.040
372	0.190
639	0.040
377/2	0.040
377/1	0.610
374	0.190
5/2	0.200
76/1	0.500
172/1	0.085
235/1	0.130
357/2	0.065
398/1	0.845
योग	159.888

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोयला उत्खनन हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 15 दिसम्बर 2004

क्रमांक 9088/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-अम्बागढ़ चौकी
(ग) नगर/ग्राम-कान्हे, प. ह. नं. 12
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.765 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	15	0.765
योग	1	0.765

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मोंगरा परियोजना के अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिये शासकीय आवास/कालोनी के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण-भू-अर्जन अधिकारी (मोंगरा परियोजना) जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 15 दिसम्बर 2004

क्रमांक 9091/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-अम्बागढ़ चौकी

(ग) नगर/ग्राम-खड़खड़ी, प. ह. नं. 3

(घ) लगभग क्षेत्रफल-110.585 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
309/1	0.462
309/3	0.061
310/2	0.303
436/3	0.235
148/1	0.834
322/5	0.567
436/4	0.473
411/2	0.667
422/2	0.162
428/2	0.182
417/9	0.243
426/4	0.121
424	0.409
411/1	0.566
422/1	0.247
421/1	0.243
409/4	0.336
288/2	0.202
288/3	0.073
134	0.125
439/2	0.212
318/2	0.717
417/10	1.065
439/3	0.570
135/4	0.077
141/3	0.158
417/7	0.085
417/2	0.182
171/2	0.109
264/5	0.304
149/1	0.429
307/3	0.033

(1)	(2)
426/8	0.425
289/1	0.486
147/3	0.061
436/1	0.047
309/2	0.684
165/2	0.343
319/4	0.405
289/2	0.260
377/2	0.334
426/2	0.182
426/5	0.166
306/4	0.133
153/1	0.979
322/1	0.364
267	0.421
325/4	0.384
393/2	0.130
393/5	0.109
409/8	1.096
137/3	0.121
322/7	0.081
165/1	0.417
166	0.587
264/4	0.910
313/2	0.202
135/3	0.089
135/5	0.028
141/1	0.235
389/2	0.506
165	0.849
264/6	0.186
313/3	0.239
147/2	0.069
375/3	0.202
163/2	0.182
163/3	0.369
423	0.162
412	0.227
167	0.587
313/1	0.425
310/1	0.168
413	0.227
417/6	0.085

(1)	(2)	(1)	(2)
386	0.243	374	2.912
428/1	0.243	321	0.454
147/1	0.081	135/2	0.141
409/5	0.154	141/2	0.174
421/2	0.166	120/3	0.275
306/3	0.085	120/7	2.487
425	0.575	152/1	0.689
375/2	0.312	408/1	0.123
302/1	1.190	418/2	0.598
308/2	0.157	150	0.765
391/1	0.024	124/1	0.121
391/3	0.045	156/2	1.092
391/6	0.081	400/2	0.243
390/2	0.243	400/9	0.535
319/3	0.809	400/13	0.130
390/1	0.121	152/2	1.165
390/4	0.174	372/2	0.619
391/2	0.040	416	1.291
385	0.825	315/1	1.254
404	0.615	319/2	0.259
168	0.648	417/5	0.178
407	1.176	377/3	0.781
419	1.315	266/1	0.352
320	1.150	325/6	0.607
142/3	0.150	393/1	0.206
288/1	0.107	393/4	0.247
288/4	0.045	431/1	0.445
288/5	0.142	387/1	0.893
397/1	0.235	387/3	0.138
158/1	0.522	396	0.287
325/3	0.675	152/3	0.906
147/4	1.056	418/1	0.555
409/7	0.223	432	2.100
169	1.010	417/1	0.154
417/4	0.243	426/6	0.364
417/3	0.186	300	1.177
417/8	1.222	159/1	0.060
269	0.789	159/3	0.496
405/1	0.409	433/2	1.044
400/1	0.294	120/6	0.809
400/5	0.426	403	0.979
400/7	0.130	136/1	0.081
400/11	0.210	136/2	0.231

(1)	(2)	(1)	(2)
314	0.733	315/2	0.140
316	0.202	279/4	0.115
318/1	0.711	280/2	0.094
389/1	2.566	153/2	0.364
440/4	0.267	345/1	0.036
400/3	0.312	288/6	0.051
400/10	1.080	397/2	0.162
161/2	1.011	405/3	0.691
135/1	0.109	268/1	0.113
135/6	0.129	317	0.202
305	0.189	159/2	0.240
142/2	0.129	268/2	0.121
288/7	0.324	433/1	0.214
142/1	0.490	159/5	0.172
288/8	0.117	268/3	0.171
327/2	0.791	433/3	0.219
427/2	0.684	266/2	0.522
319/1	1.733	327/1	0.752
440/2	0.194	434/3	0.166
440/3	0.219	137/7	0.499
440/5	0.307	123/4	0.201
429	0.384	435/5	0.328
265	0.435	435/4	0.364
375/1	0.242	372/1	0.531
409/6	0.166	434/2	0.154
163/1	0.376	280/4	0.202
163/4	0.101	434/4	0.283
427/1	0.720	280/3	0.635
427/3	0.219	436/2	0.470
156/1	0.875	399	0.664
406/1	0.808	435/1	0.271
406/2	0.470	435/6	0.178
406/4	0.607	426/7	0.340
406/3	0.773	435/2	0.223
158/2	0.384	401	0.227
393/3	0.162	375/4	0.340
325/5	0.345	308/3	0.072
393/6	0.121	312	0.229
322/2	0.202	165/3	0.344
431/2	0.882	148/2	1.173
426/3	0.036	299/11	0.012
405/2	0.678	120/1	0.391
308/1	0.048	171/2	0.065

(1)	(2)
149/2	0.450
373/1	0.423
390/3	0.069
391/8	0.085
391/7	0.073
132/1	1.710
138	0.601
304	0.338
311	0.425
391/4	0.194
391/5	0.024
434/3	0.166
132/3	0.378
योग	110.585

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बैराज परियोजना के अंतर्गत डुबान क्षेत्र.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 दिसम्बर 2004

क्रमांक 9192/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-अम्बागढ़ चौकी

(ग) नगर/ग्राम-मोंगरा, प. ह. नं. 21

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.945 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
451/1	0.335
451/18	0.001
450/5	0.013
451/11	0.089
451/21	0.001
451/15	0.065
451/5	0.050
449/10	0.018
449/9	0.001
449/2	0.087
449/3	0.059
449/1	0.018
449/4	0.067
449/5	0.012
443/8	0.201
443/17	0.022
442	0.167
443/20	0.128
443/11	0.133
443/12	0.100
443/9	0.143
443/3	0.011
444	0.069
440	0.139
439/5	0.167
439/2	0.030
445/1	0.031
439/1	0.051
437/10	0.001
438	0.048
415/1	0.055
415/3	0.057
415/2	0.068
415/4	0.006
437/29	0.167
437/27	0.043
437/9	0.125
437/30	0.101
437/28	0.078
437/31	0.025
433	0.344

(1)	(2)
432	0.148
412	0.418
431	0.052
429/6	0.001
योग 37	3.945

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 दिसम्बर 2004

क्रमांक 9193/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजम के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-अम्बागढ़ चौकी

(ग) नगर/ग्राम-सेम्हरबांधा, प. ह. नं. 20

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.604 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
290/5	0.041
211	0.448
209	0.432
213	0.022
208/1	0.027
208/2	0.029
197	0.197
198	0.301
192	0.076
181	0.039
180	0.276
179	0.328
593	0.053
172	0.032
157/1	0.013
156	0.081
154/1	0.057
154/2	0.057
157/10	0.030
153/1	0.027
153/2	0.004
155/1	0.081
155/2	0.157
157/11	0.083
150	0.247
463/5	0.081
460/1	0.009
463/1	0.081
463/4	0.069
463/6	0.081
463/7	0.057
463/2	0.105
463/3	0.125
149	0.010
464	0.013
462	0.060
485	0.162
483	0.118
484	0.097
486/1	0.118
482	0.039
481	0.055
480/2	0.022
479	0.252
478	0.368
509/1	0.058
509/2	0.040
510	0.133
511	0.977
472/1	0.232
508	0.058

(1)	(2)
512	0.046
योग 34	6.604

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सेम्हरबांधा शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 दिसम्बर 2004

क्रमांक 9194/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-राजनांदगांव
 (ख) तहसील-अम्बागढ़ चौकी
 (ग) नगर/ग्राम-धानापायली, प. ह. नं. 19
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.479 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
82	0.156
83/2	0.065
58	0.017
83/1	0.256
84/2	0.136
84/3	0.173
80	0.459
79	0.045
88	0.100
138	0.058
90	0.169
112	0.119
113/1	0.037
113/2	0.141
111/2	0.189
110	0.097
130/1	0.019
130/3	0.065
130/2	0.162
137	0.047
136	0.078
385	0.085
384	0.049
139	0.093
140	0.027
143/1	0.143
143/2	0.022
388/1	0.071
388/2	0.044
395	0.031
396	0.155
398/2	0.112
398	0.059
योग 26	3.479

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धानापायली शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 दिसम्बर 2004

क्रमांक 9195/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-अम्बागढ़ चौकी
(ग) नगर/ग्राम-हाथीकन्हार, प. ह. नं. 20
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.715 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
17/3	0.033
23	0.087
18/1	0.160
222/1	0.223
19/1	0.074
22/6	0.142
22/2	0.013
20/3	0.037
22/8	0.101
22/9	0.033
21/1	0.131
21/6	0.045
21/7	0.133
21/3	0.288
21/8	0.014
21/9	0.227
49/2	0.079
231/1	0.081
44/1	0.051
44/4	0.142
44/5	0.032
231/2	0.045
230	0.160
229	0.304
233/1	0.163
234/1	0.134
234/3	0.113
234/5	0.185
241	0.292
244/4	0.162
244/1	0.011
244/8	0.105
244/5	0.162
256	0.207
244/6	0.019
257	0.245
255	0.162
253	0.036
254	0.036
234/4	0.048
योग 28	4.715

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हाथीकन्हार शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 दिसम्बर 2004

क्रमांक 9196/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-राजनांदगांव
(ग) नगर/ग्राम-मोहड़, प. ह. नं. 16
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.435 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
51/2	0.186
50/1	0.008
49/4	0.057
48/2	0.049
50/2, 50/3	0.279
50/4	0.113

(1)	(2)
55/2, 55/4	0.049
55/3	0.045
56/3	0.008
80	0.417
82	0.093
83/2	0.008
84/1	0.243
84/2	0.057
84/3	0.178
85/1	0.065
89/2	0.020
81/3	0.045
85/2	0.166
90/2	0.028
196/1	0.045
196/2	0.138
320	0.020
200/1	0.012
201	0.344
203/1	0.295
203/3	0.024
307	0.093
537	0.125
538/2	0.202
539/1, 539/2	0.263
539/2	0.093
56/4	0.231
81/2	0.226
540/3	0.081
540/4	0.129
योग 36	4.435

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बैराज डोंगरगांव वितरक शाखा नहर निर्माण हेतु

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 दिसम्बर 2004

क्रमांक 9197/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अम्बागढ़ चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-बेलरपुर, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.840 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
5/1	2.460
3/13	0.555
4/5, 4/14	0.732
5/6	0.093
योग	3.840

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बैराज परियोजना के अंतर्गत डुबान क्षेत्र.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 दिसम्बर 2004

क्रमांक 9198/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-अम्बागढ़ चौकी

(ग) नगर/ग्राम-सोनाली, प. ह. नं. 22

(घ) लगभग क्षेत्रफल-33.415 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/2, 2/3, 3/1	2.983
4/1	0.547
8/1	0.640
10/1	0.128
2/4, 2/5, 3/2	0.879
4/2	0.363
10/2	0.364
6/1	0.794
16	2.209
21	2.280
23/2	0.174
24	6.216
8/2	0.222
12/2	0.474
12/3	0.469
12/4	0.445
13/1	0.304
13/2	0.081
13/3	0.227
13/4	0.121
13/5	0.429
13/6	0.069
13/7	0.243
13/8	0.162
13/9	0.178
13/10	0.599
2/10, 2/11, 3/4	0.680
12/1	0.445
15/2	0.809
15/4	1.619
17 (18)	3.376
25/1	1.307
14	0.152
15/3	1.619
15/5	0.809
25/2	0.999
योग	33.415

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बैराज परियोजना के अंतर्गत डुबान क्षेत्र.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 दिसम्बर 2004

क्रमांक 9099/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-राजनांदगांव

(ग) नगर/ग्राम-साल्हे

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.21 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
551/2	0.12
551/3	0.06
551/4	0.08
551/5	0.08
552/1	0.10
552/2	0.06
567	0.71
योग	1.21

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आयाबांधा जलाशय के नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 2 दिसम्बर 2004

क्रमांक 452/भू-अर्जन/अ.वि.अ./51-अ/82 सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-महासमुन्द

(ख) तहसील-महासमुन्द

(ग) नगर/ग्राम-नांदगांव, प. ह. नं. 144

(घ) लगभग क्षेत्रफल-48.45 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2998	0.30
2638	0.02
2644	0.02
2646/1	0.07
3030	0.27
2854	0.08
2943	0.08
2939	0.09
2840	0.05
3022	0.18
3025	0.04
2813	0.04
2848	0.17
2657	0.24
2824	0.05
2830	0.09
2821	0.07
2823	0.11
2941	0.04
2845	0.13
2861	0.18
2805	0.07
3114	0.14
3021	0.07
2851	0.29
2852	0.08
2938	0.16
2859	0.12
2808	0.06
2807	0.05
2844	0.09
2855	0.10
2634	0.10
2997/2	0.17
2836	0.22
2806	0.08
2627	0.05
2629	0.05
2800	0.07
2812	0.07
2839	0.10
2838	0.04
3113	0.20
3117	0.69
2817	0.04
2942	0.04
2997/1	0.18
2815	0.05
2841	0.08
2842	0.03
2846	0.11
3024	0.05
2940	0.27
3000	0.25
3026	0.04
3031	0.08
2860	0.03
2802	0.02
3023	0.05
2822	0.13
2809	0.07

(1)	(2)
2814	0.04
2816	0.25
2849	0.13
2864	0.06
2801	0.03
2829	0.07
3027	0.27
2826	0.02
2825	0.06
2828	0.26
2837	0.04
2856	0.14
2652	0.03
2831	0.09
2850	0.34
2811	0.09
2635	0.13
2857	0.12
2858	0.16
2843	0.13
2803	0.04
2645	0.05
2653	0.05
2804	0.09
2847	0.02
2818	0.18
2606	0.40
2628	0.15
2630	0.15
2651	0.03
2646/2	0.01
2999	0.12
3111	0.40
	0.19
2616	0.21
2827	0.05
2834	0.12
2853	0.08
2631	0.07
3010	0.29
3011	0.12
151	4.55
2637	2.00
2789	13.61
2820	0.10
2785	0.59
2786	6.63
2	7.78
146	1.00
योग 109	48.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्कता है-राजीव संवर्धन योजना के अंतर्गत डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 2 दिसम्बर 2004

क्रमांक 453/भू-अर्जन/अ.वि.अ./51-अ/82 सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-मुढ़ेना, प. ह. नं. 144
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.07 हेक्टेयर हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
541	0.07
556	0.11
542	0.28

(1)	(2)
667	0.25
557	0.08
553	0.03
554	0.03
570	0.08
571	0.18
572	0.22
658	0.12
668/1	0.18
543	0.20
555	0.04
569	0.04
657	0.15
659	0.04
680	2.77
681	0.20
योग 19	5.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्कता है-राजीव संवर्धन योजना के अंतर्गत डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.